न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2024/124 जिला–अजमेर हाल जिला– ब्यावर

1. गिरधारी काठात पुत्र हालू निवासी गांव झांक बाडिया नाहर मगरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. नारायण काठात पुत्र देवा काठात निवासी ग्राम बाडिया नाहर मगरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
3. समदा काठात पुत्र सुवा निवासी झाक बाड़िया नाहर मगरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर ।
4. मोती सिंह काठात पुत्र उदयसिंह काठात निवासी नाहर मगरा झांक तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
5. घीसा पुत्र हालू काठात निवासी ग्राम नाहर मगरा झाक तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच नाड़ी तहसील मसूदा जिला ब्यावर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कमांक एफ. (सी)/कअ/
/राजस्व/2021/311 दिनांक 24–9–2021

————

उपस्थित– 1. श्री समीर अहमद खान ,अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री अमीन काठात अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 16–12–2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा व सरपंच से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश दिनांक 24–9–2021 द्वारा मौजा नाड़ी के खसरा नम्बर 9940/8973 किस्म पहाड़ की भूमि रकबा 16.4551 हैक्टर में से 0.4854 शमशान हेतु एवं 0.81 हैक्टर भूमि कब्रिस्तान हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत

संभागीय आयुक्त
अजमेर

आरक्षित करने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 24–9–2021 को आदेश पारित किये जाने के पूर्व की वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण लॉकडाउन लग जाने के कारण अपील निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। लॉक डाउन खुलने पर यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण द्वारा जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी मसूदा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कि आधार पर उपरोक्त कम संख्या 25 व 31 में सरपच के द्वारा ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा में ली गई आवश्यक कार्यवाही विवरण मीटिंग के अनुसार पारित किया है जबकि उक्त ग्राम पंचायत मिटिंग में सभी सदस्यों के उपस्थित नहीं होने के बावजूद सरपंच ने कुछ सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करवा कर प्रस्ताव भेजा है जो गलत था तथा उसी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए

संभागीय आयुक्त
अजमेर

जिला कलेक्टर अजमेर में दिनांक 24–9–2021 को आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 9940/8973 किस्म पहाड की भूमि रकबा 16.4551 हैक्टेयर में से 0.4854 एवं श्मशान हेतु एवं 0.81 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान हेतु आवंटित की है तथा उपरोक्त भूमि नाहर मगरा की ग्राम नाड़ी की भूमि है जो धोली घाटी कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की गई है जबकि घोली घाटी में पहले से ही खाली पड़ी भूमि है जो पडत की भूमि है तथा घोली घाटी कब्रिस्तान हेतु वहीं पर भूमि आवंटित/ आरक्षित की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई बल्कि प्रार्थीगण की बस्ती के पास उपरोक्त भूमि कब्रिस्तान एवं श्मशान हेतु आवटित कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण के रिहायशी घर मकान आदि बने हेतु है इसलिए ऐसे स्थान पर शमशान एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटित नहीं की जानी चाहिए थी परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा भूमि शमशान/कब्रिस्तान हेतु आवंटित कर दी जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि धोली घाटी के कब्रिस्तान हेतु धोली घाटी में ही भूमि पडत के रूप में पड़ी हुई है जिसमें 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पडत के रूप में है इसलिए वहीं पर भूमि का आवंटन किया जाना आवश्यक था परन्तु धोली घाटी की सीमा में पहले से कब्रिस्तान मौजूद है तथा उस पर सरपंच एंवं सरपंच के परिवार के लोगों का अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख जमांबदी में उपरोक्त भूमि श्मशान एवं कब्रिस्तान के रूप में दर्ज होने पर उक्त भूमि को आबादी के पास तरमीम कर दिया गया जो अपने आप में ही गलत मानसिकता का परिचायक है क्योंकि खसरा नम्बर 9940/8973 किस्म पहाड की कुल भूमि 16.4551 हैक्टेयर है जिसमें से कब्रिस्तान हेतु भूमि 0.81 आवंटन किए जाने पर उसे आबादी के पास तरमीम किया गया है इसलिए आवंटन आदेश के साथ साथ तरमीम आदेश भी गलत है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 9940/8973 के तरमीम किए जाने के पश्चात खसरा नम्बर 10086/9940 श्मशान के रूप में एवं खसरा नम्बर 10087/9940 कब्रिस्तान के रूप में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया है जिसके आधार पर तरमीम भी कर दी गई है जो मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित है तथा प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के भी विरुद्ध होने से ऐसे आवंटन को एवं तरमीम को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–2021 के क0स0 25 पर श्मशान अंकित है जबकि ग्राम नाड़ी में जहां पर यह शमशान आंवटित किया गया है उसके आस पास किसी भी ऐसे व्यक्ति का मकान आदि नही है जिसको शमशान की जरूरत हो अर्थात वहा पर अन्य धर्मो के लोग निवास ही नहीं करते है तथा इससे दूर रहने वालो के लिए ग्राम नाडी में ही श्मशान खसरा नम्बर 7627 10023/9625 एवं इसी प्रकार 8972 कब्रिस्तान, 6383 कब्रिस्तान, एवं 9627 कब्रिस्तान, 10059/7392 कब्रिस्तान एवं 8025 कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है इस प्रकार समस्त गांव को श्मशान व कब्रिस्तान बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आबादी भूमि के पास श्मशान एवं कब्रिस्तान होने के कारण वहां पर निवासित लोगों के बच्चों में भय होगा तथा रात्रि में घर से बाहर भी नहीं निकल पायेगे जिससे

संभागीय आयुक्त
अजमेर

अपीलार्थीगण एवं अन्य लोगों का रहना दुभर हो जायेगा इस कारण उपरोक्त आदेश को निरस्त किया जावे तथा साथ ही ऐसी तरमीम को भी निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–2021 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा व तहसीलदार मसूदा ने सरपंच द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शमशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार उपखण्ड क्षैत्र मसूदा/बिजयनगर में स्थित विभिन्न ग्रामों के खसरा नम्बरान की भूमि जिसकी किस्म गै0मु0 बरड़ा, बा–3, पहाड़, दांती, चट्टान आदि है, को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शमशान/कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित किये गये है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा शमशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार उक्त आदेश में वर्णित तालिका में अंकित खसरा नम्बर में से प्रस्तावित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शमशान/कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित कर दिये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम नाड़ी में ही सरपंच द्वारा तीन जगह शमशान व 7 जगह कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित करवाने के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी मसूदा को भिजवाए गए थे। अपीलार्थीगण द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित किया है कि आबादी भूमि के पास में ही शमशान/कब्रिस्तान हेतु खसरा नम्बर 9940/8973 किस्म पहाड़ की भूमि रकबा 16.4551 हैक्टर में से 0.4854 शमशान हेतु एवं 0.81 हैक्टर भूमि कब्रिस्तान हेतु आवंटित की है। उक्त भूमि नाहर मगरा की ग्राम नाडी की भूमि है जो धोलीघाटी कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की गई है जबकि धोलीघाटी में पहले से ही खाली भूमि है जो पड़त है धोली घाटी कब्रिस्तान हेतु वहीं पर भूमि आवंटित/आरक्षित की जानी चाहिए थी। जबकि अपीलार्थीगण की बस्ती के पास कब्रिस्तान एवं शमशान हेतु भूमि आवंटित कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण के रिहायशी मकान बने हुए है इसलिए रिहायशी मकानों के पास शमशान एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित करना विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश की क्रम संख्या 25 पर शमशान अंकित है जबकि ग्राम नाडी में जहां पर यह शमशान आवंटित किया गया है उसके

आस पास किसी भी ऐसे व्यक्ति का मकान आदि नही है जिसको शमशान की जरूरत हो अर्थात वहा पर अन्य धर्मो के लोग निवास ही नहीं करते है तथा इससे दूर रहने वालो के लिए ग्राम नाडी में ही श्मशान खसरा नम्बर 7627, 10023/9625 एवं इसी प्रकार 8972 कब्रिस्तान, 6383 कब्रिस्तान, एवं 9627 कब्रिस्तान, 10059/7392 कब्रिस्तान एवं 8025 कब्रिस्तान के रूप में दर्ज होने के बावजूद आबादी भूमि के पास श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु भूमि आंवटित/आरक्षित करना विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शमशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित करवाने के लिए ग्रामवासियों एवं वार्ड पचों आदि के हस्ताक्षर कराकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करवाना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार मसूदा द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किये बिना एवं ग्रामवासियों की सहमति लिये बिना ग्राम नाड़ी की भूमि खसरा नम्बर 9940/8973 पहाड़ को धोलीदाता कब्रिस्तान व शमशान हेतु हेतु अनुशंषा जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित कर दी जो विधिक प्रकिया के तहत नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा शमशान व कब्रिस्तान हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित करने का आदेश कमांक एफ. (सी)/कअ/राजस्व/2021/311 दिनांक 24–9–2021 में ग्राम नाड़ी ग्राम पंचायत नाड़ी की कम संख्या 25 एवं 31 की भूमि खसरा नम्बर 9940/8973 किस्म पहाड़ कुल रकबा 16.4551 में से शमशान हेतु 0.4854 हैक्टर एवं कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि रकबा 0.81 हैक्टर भूमि की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आबादी विस्तार हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित करने का पारित आदेश कमांक एफ. (सी)/कअ/राजस्व/2021/311 दिनांक 24–9–2021 में ग्राम नाड़ी, ग्राम पंचायत, नाड़ी की कम संख्या 25 एवं 31 की भूमि खसरा नम्बर 9940/8973 किस्म पहाड़ कुल रकबा 16.4551 में से शमशान हेतु 0.4854 हैक्टर एवं कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि रकबा 0.81 हैक्टर भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर